

वितरण लाइसेंसी की बिजली लाइनों या बिजली उपकरणों के पास से भवनों, ढांचों, बालकनियों, वरामदों, छतों, छज्जों, अस्थायी ढांचों, आदि को हटाने के संबंध में

हम उन मकान मालिकों / अधिवासियों और आम लोगों – जिन्होंने अपने भवनों, सिविल कार्यों, ढांचों, प्रॉजेक्शंस, बालकनियों, छज्जों, चारदीवारियों, अस्थायी ढांचों, आदि को अधिकृत बिजली लाइनों व उनसे जुड़े बिजली उपकरणों के निर्माण के दौरान या बाद में बढ़ाया है— का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति संबंधी उपाय) अधिनियम 2010 (जैसा कि उसमें समय—समय पर संशोधन होता रहता है) की नियमावली 60 और 61 तथा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 53 और 68 (5) जिसे धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, के मानकों का उल्लंघन है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति संबंधी उपाय) अधिनियम 2010 (जैसा कि उसमें समय—समय पर संशोधन होता रहता है) की नियमावली 60 और 61 के मुताबिक, दुर्घटनाओं या जानलेवा दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह अति आवश्यक है कि वितरण लाइसेंसी के बिजली के मेन्स या बिजली के उपकरणों व अन्य चीजों से, ऊपरी या समतल स्तर पर निम्नलिखित न्यूनतम दूरी अवश्य रखी जाए।

क्रम संख्या	लाइनें / उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहाँ लाइन किसी बिल्डिंग / ढांचे / बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम सममतल दूरी जहाँ लाइन किसी बिल्डिंग / ढांचे / बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
1.	650 वोल्ट तक के वोल्टेज की लाइन	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
2.	उच्च वोल्टेज लाइन 650 वोल्ट से अधिक की तथा 11000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
3.	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
4.	बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज लाइन 33 केवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केवी या उसके भाग पर)

इस आम सूचना के माध्यम से उन मकान मालिकों / अधिवासियों और आम लोगों को सलाह दी जाती है कि जिनके अनाधिकृत ढांचे, सिविल कार्य, भवन, प्रॉजेक्शंस, बालकनी, चारदीवारी, अस्थायी ढांचे, आदि अधिकृत बिजली लाइनों व उपकरणों से न्यूनतम दूरी का उल्लंघन करते हैं (जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है), वे उन्हें तुरंत हटा लें। इसमें असफल रहने पर न्यूनिसिपल कार्यालयों, स्थानीय संस्थाओं, आदि के माध्यम से ऐसे अवैध ढांचों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 और उस आधार पर बनाए गए नियमों तथा अधिनियमों के साथ पढ़ा जाए।

आगे यह भी ध्यान में रखें कि ऐसे उल्लंघनकर्ता, जीवन और संपत्ति से संबंधित किसी भी नुकसान के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार समझे जाएंगे, और उपयुक्त कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी।

अधोहस्ताक्षरी
प्रमुख— ओरंडेम, बीआरपीएल

अधोहस्ताक्षरी
प्रमुख— ओरंडेम, बीवाईपीएल

Regd. Off. : BSES Rajdhani Power Limited, BSES Bhawan,
Nehru Place, New Delhi-110019 | CIN No.: U74899DL2001PLC111527
Telephone No. : +91 11 39999707 | Fax No. : +91 11 39999890
Website : www.bsesdelhi.com

Regd. Off. : BSES Yamuna Power Limited, Shakti Kiran Building,
Karkardooma, Delhi-110032 | CIN No.: U74899DL2001PLC111525
Telephone No. : +91 11 3999 9808 | Fax No. : +91 11 3999 9765
Website : www.bsesdelhi.com

BSES

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: बीएसईएस मन्दि, नई दिल्ली-110019

आम सूचना

BSES

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण, बड़दलूग, दिल्ली- 110022

वितरण लाइसेंसी की बिजली लाइनों या बिजली उपकरणों के पास से भवनों, ढांचों, बालकनियों, बरामदों, छतों, छज्जों, अस्थायी ढांचों, आदि को हटाने के संबंध में

हम उन मकान मालिकों / अधिवासियों और आम लोगों – जिन्होंने अपने भवनों, सिविल कार्यों, ढांचों, प्रॉजेक्शंस, बालकनियों, छज्जों, चारदीवारियों, अस्थायी ढांचों, आदि को अधिकत बिजली लाइनों व उनसे जुड़े बिजली उपकरणों के निर्माण के दोशन या बाद में बढ़ाया है – को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये कंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुखा व बिजली आपूर्ति संबंधी उपाय) अधिनियम 2010 (जैसा कि उसमें समय–समय पर संशोधन होता रहता है) की नियमावली 60 और 61 तथा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 53 और 68 (5) जिसे धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, के मानकों का उल्लंघन है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुखा व बिजली आपूर्ति संबंधी उपाय) अधिनियम 2010 (जैसा कि उसमें समय–समय पर संशोधन होता रहता है) की नियमावली 60 और 61 के मुताबिक, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुखा व बिजली आपूर्ति संबंधी उपाय) अधिनियम 2010 (जैसा कि उसमें समय–समय पर संशोधन होता रहता है) की नियमावली 60 और 61 के मुताबिक, दुर्घटनाओं या जानलेवा दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह अति आवश्यक है कि वितरण लाइसेंसी के बिजली के मेन्स या बिजली के उपकरणों व अन्य चीजों से, उपरी या समतल स्तर पर निम्नलिखित न्यूनतम दूरी अवश्य रखी जाए।

क्रम संख्या	लाइने / उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी विलिंग/ ढांचे / बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम सममतल दूरी जहां लाइन किसी विलिंग/ ढांचे / बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
1.	650 वोल्ट तक के वोल्टेज की लाइन	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
2.	उच्च वोल्टेज लाइन 650 वोल्ट से अधिक की तथा 11000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
3.	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
4.	बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज लाइन 33 केवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केवी 33000 वोल्ट, या उसके भाग पर)	2 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केवी या उसके भाग पर)

इस आम सूचना के माध्यम से उन मकान मालिकों / अधिवासियों और आम लोगों को सलाह दी जाती है कि जिनके अनाधिकृत ढांचे, सिविल कार्य, भवन, प्रॉजेक्शंस, बालकनी, चारदीवारी, अस्थायी ढांचे, आदि अधिकृत बिजली लाइनों व उपकरणों से न्यूनतम दूरी का उल्लंघन करते हैं (जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है), वे उन्हें तुरंत हटा लें। इसमें असफल रहने पर नियमों तथा अधिनियमों के साथ पढ़ा जाए।

आगे यह भी ध्यान में रखें कि ऐसे उल्लंघनकर्ता, जीवन और संपत्ति से संबंधित किसी भी नुकसान के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार समझे जाएंगे, और उपयुक्त कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी।

अधोहस्ताक्षरी
प्रमुख – ओएंडएम, बीएसईएल

Regd. Off. : BSES Rajdhani Power Limited, BSES Bhawan,
Nehru Place, New Delhi-110019 | CIN No.: U74899DL2001PLC111527
Telephone No. : +91 11 39999707 | Fax No. : +91 11 39999890
Website : www.bsesdelhi.com

Regd. Off. : BSES Yamuna Power Limited, Shakti Kiran Building,
Karkardooma, Delhi-110032 | CIN No.: U74899DL2001PLC111525
Telephone No. : +91 11 3999 9808 | Fax No. : +91 11 3999 9765
Website : www.bsesdelhi.com

अधोहस्ताक्षरी
प्रमुख – ओएंडएम, बीएसईएल